उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

संo– 87 / उनिलि / रिफार्म / पाली नीति / 12–13 दिनाँकः 20 / 11 / 2012

कार्यालय ज्ञाप

निगम में वर्तमान में कार्यालय ज्ञाप सं0 232 / उनिलि / रिफॉर्म / मा0सं0नीति / पाली नीति दिनाँक 19.02.2009 व उसके कार्यालय ज्ञाप सं0 60 / उनिलि / रिफॉर्म / मा0सं0नीति / पाली नीति / 09–10 दिनाँक 23–03–2010 द्वारा संशोधित प्राविधानो के अनुसार "पाली नीति" लागू है। उक्त पाली नीति में ताप विद्युत गृहो पर अधिशासी /सहायक /अवर अभियन्ताओ की पाली में वरिष्ठता निर्धारण एवं पाली कार्य हेतु प्रथम चरण की कार्यावधि क्रमशः न्यूनतम 2 वर्ष, 4 वर्ष एवं 5 वर्ष निर्धारित की गयी है। इस पाली नीति में पाली वरिष्ठता सूची के अनुसार सभी कार्मिको द्वारा प्रथम चरण पूर्ण हो जाने पर पाली कार्यो के अगले चरण हेतु अधिशासी /सहायक /अवर अभियन्ताओ की कार्यावधि भी प्रथम चरण की भाँति ही निर्धारित है।

मुख्य अभियन्ता, अनपरा ताप विद्युत गृह ने पत्र सं0 3072 / मु0अभि0 / अधि0 / अताप / ई–2 दिनॉक 17 / 10 / 2012 द्वारा सूचित किया है कि अनपरा में अवर अभियन्ता संवर्ग में पाली सेवा का प्रथम चक्र पूर्ण होने पर अग्रिम चक्र की स्थिति आ गयी है और इस अग्रिम चक्र हेतु पाली सेवा अवधि को अधिकतम दो वर्ष करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त विषय पर विचारोंपरान्त उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0 232 / उनिलि / रिफॉर्म / मा0सं0नीति / पाली नीति दिनाँक 19.02.2009 के प्रस्तर(अ)(1) में निम्न संशोधन एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता हैः–

वर्तमान प्राविधान	प्रतिस्थापित प्राविधान
(अ)(1) प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता को उस पद पर क्रमशः न्यूनतम 2 वर्ष, 4 वर्ष एवं 5 वर्ष पाली में तैनात रहना आवश्यक होगा। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे चक्र में पुनः पाली सेवा में निम्न पैराओं में वर्णित आधारों पर तैनाती की जा सकती है।	(अ)(1) प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता को उस पद पर क्रमशः न्यूनतम 2 वर्ष, 4 वर्ष एवं 5 वर्ष पाली में तैनात रहना आवश्यक होगा। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे चक्र में पुनः पाली सेवा में अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता पद पर न्यूनतम तैनाती अवधि क्रमशः 01 वर्ष, 02 वर्ष एवं 02 वर्ष होगी। अगले चक्रों में पुनः पाली सेवा में निम्नः पैराओं में वर्णित आधारों पर तैनाती की जा सकती है।

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0 232/उनिलि/रिफॉर्म/मा0सं0नीति/पाली नीति दिनाँक 19.02.2009 के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उनिलि के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/कार्मिक), उनिलि के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्पादन निगम लिमिटेड।
4. कट फाइल।

(सुनील कुमार सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)